कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल–शिक्षा जोधपुर

पुलिस लाईन रातानाडा के सामने, जोधपुर (राजस्थान) दूरभाष 0291–2511091
ई–मेल jdsejodhpur@gmail.com

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला **वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)** पद हेतु भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 के चयनित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक **शिविरा–मा. / संस्था / एफ–1 / 12102 / सी.भ. / व.अ. / एन.जे. / 2016 दिनांक 18.07.2023** के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबीसी रिट संख्या 5853 / 2019 दिनेश चौधरी व अन्य बनाम में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 की अनुपालना में तथा निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहें पदों के विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्रांक एफ.6(1)परीक्षा / व0अ0(मा.शि.) / 2016–17 / संस्कृत / 734 दिनांक 13.04.2023 एवं 967 दिनांक 15.05.2023 के द्वारा **वरिष्ठ अध्यापक– संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2016 – विषय संस्कृत (टीएसपी / नॉन टीएसपी)** में पिकअप सूची से चयनित अभ्यर्थियों को स्पष्ट पात्र मानते हुए अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जोधपुर सम्भाग में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निर्देशानुसार **दिनांक 24.07.2023** को परामर्श शिविर आयोजित कर उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर एवं अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन स्थान आंवटित करते हुए द्वितीय वेतन श्रृंखला **वरिष्ठ अध्यापक– संस्कृत (नॉन टीएसपी)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26,500 / – (छब्बीस हजार पॉच सौ रुपये) प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत (समान पद न हो) होने की स्थिति में परीक्षा अनुज्ञा प्राप्त कर विधिवत कार्यमुक्त हुए एवं नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिक को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार विद्यमान वेतनमान अन्तर्गत नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका पदस्थापन निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है:–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियां की जावेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
5. वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2016 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 28 / 2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं इस संबंध में अन्य दायर / विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगी।

संबंधित संस्था प्रधान / पीईईओ संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :–

1. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा हैं।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विविधत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। दस्तावेंज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता हैं, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

Signature valid

Digitally signed by Prem Chandra Sankhala
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:17:41 IST
Reason: Approved

5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जावें । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।
6. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत् शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जावे ।
7. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1– बंजारा, बालदिया, लबाना, 2– गाडिया, लोहार व गाडोलिया, 3– गूजर, गुर्जर, 4– राईका, रेबारी (देबासी), 5– गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचन बद्वता अवश्य प्राप्त करें।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/–रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
11. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित **NOC for Civil Job, NOC for Higher Education, Retirement Diary, PPO,** दोहरे लाभ संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व नियोक्ता को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के पदों हेतु भरे हुए आवेदन की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र, पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करावें। आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल प्रेषित की गई हैं, अतः इन अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पदस्थापन माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल ही किया जा रहा हैं। नियम/शासन की अधिसूचना की शर्ते पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
12. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें।
13. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
14. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्याताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्वता (**Undertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

Signature valid

Digitally signed by Prem Chandra Sankhala
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:17:41 IST
Reason: Approved

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 16.08.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई–मेल **jd.jod.estt@gmail.com** पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर

क्रमांकः–ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016/व0अ0 संस्कृत/2023/**840** दिनांकः– **24.07.2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/प्रारंभिक शिक्षा एवं प. राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्पुटर अनुभाग को नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर/बाडमेर/जैसलमेर को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित सीबीईओ के माध्यम से विद्यालयों में भिजवाए जाने की व्यवस्था करें।
6. संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा।
7. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को देकर निर्देशित किया जाता हैं कि इनके मूल आवेदन पत्र संबंधित सीबीईओ कार्यालय से प्राप्त कर इनके मूल आवेदन पत्र इनकी निजी पंजिका में नत्थी करें।
8. संबंधित आशार्थी द्वारा विभागीय बेवसाईट के लिंक **https://educationsector.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/JDOffices/JDJodhpur/academicposting.html#** का उपयोग कर नियुक्ति पर पदस्थापन आदेश डाउनलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Prem Chandra Sankhala
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:17:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363173

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राजस्थान

क्रमांकः–ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016/व0अ0/2023/**840** दिनांकः– **24.07.2023**

विषय – संस्कृत

S.No.	CANDIATE PHOTO	MERIT NO	NAME	FNAME	DOB	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	POSTING PLACE
1		R-1655	KRISHNA MAHAVAR	LAXMI NARAYAN	29.07.1981	SC,WE, DV,RG	SCF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOMESAR, SHERGARH JODHPUR (220220)
2		R-1656	PRIYA MEENA	SURESH MEENA	23.06.1991	ST,WE, DV	STF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANKRALA, KALANPUR BARMER (220671)
3		R-33	POONAM SHARMA	SOMDUTT SHARMA	05.01.1983	GE,WE	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RIDMALSAR BAPINI, AAU JODHPUR (220200)
4		R-38	PRIYANKA RATHORE	SHAMBHU SINGH RATHORE	03.04.1991	GE,WE	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UTAMBAR, BALESAR JODHPUR (220259)
5		R-61	GYANWATI SHARMA	CHHAIL BIHARI SHARMA	06.10.1986	GE,WE, RG	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASKANDRA NACHANA JAISALMER (220454)
6		R-62	JYOTI GUPTA	BHAGWAN LAL GUPTA	17.08.1986	GE,WE, RG	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALWA GIDA, BARMER (220615)
7		R-1309	REENA BALMIK	RAJAN LAL	01.04.1987	SC,WE	SCF		S.J.S. GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SEKHALA, JODHPUR (220260)
8		R-17	MANMOHAN SINGH	NARENDRA SINGH	26.06.1986	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BASTWA, BALESAR JODHPUR (220286)
9		R-27	BAJRANG SINGH	HANWAT SINGH	05.08.1993	GE	GENM		SHRI HARISINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PEELWA, DECHU, JODHPUR (220192)
10		R-32	CHAMPA LAL	KASHI RAM	10.08.1988	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOONGRA, SHERGARH JODHPUR (220218)

Signature valid

Digitally signed by Prem Chandra Sankhala
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:17:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363173

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

पुलिस लाईन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राजस्थान

क्रमांकः–ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016/व0अ0/2023/**840** दिनांकः– **24.07.2023**

विषय – संस्कृत

S.No.	CANDIATE PHOTO	MERIT NO	NAME	FNAME	DOB	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	POSTING PLACE
11		R-42	RAM NIWAS SHARMA	MANI RAM SHARMA	02.08.1984	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIKHODAI BHANIYANA JAISALMER (220490)
12		R-57	AJAY KUMAR SHARMA	SATYANARAYAN SHARMA	01.01.1994	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NETRAD CHOHTAN BARMER (220991)
13		R-58	RAJENDRA KUMAR SHARMA	KISHORI LAL SHARMA	01.02.1982	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAGAR GUDAMALANI BARMER(220933)
14		R-66	ANIL KUMAR PAREEK	KAILASH CHAND PAREEK	02.02.1992	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADAMPURA BHANIYANA JAISALMER (220497)
15		R-367	PANNA RAM	ROOPA RAM	10.06.1986	BC	OBCM		SHAHID PREM SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHAHAR GIDA BARMER (220621)
16		R-1013	RISHI RAM MEENA	DHAN PHOOL MEENA	18.08.1988	ST,RG	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JUNA MITHA KHEDA, SINDHARI BARMER (220802)
17		R-1019	GIRISH KUMAR MORYA	MANOHAR SINGH MORYA	01.07.1991	ST	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOUDA FAGLIYA BARMER(220971)
18		R-1022	DHEERAJ KUMAR MEENA	RAMESH KUMAR MEENA	26.06.1991	ST	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUDWA, BALOTRA, BARMER (220638)
19		R-1027	GALLU RAM MEENA	DEEP CHAND MEENA	12.12.1984	ST,RG	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MITHODA, SIWANA BARMER (220753)
20		R-1037	DINESH KUMAR MEENA	GHASI LAL MEENA	01.03.1992	ST	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAGSA, BALOTRA BARMER (220651)
21		R-1038	BAJRANG LAL MEENA	DWARKA LAL MEENA	25.12.1992	ST	STM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHATA SINDHARI, BARMER(225034)

प्रेमचन्द्र सांखला
संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कुल शिक्षा) जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Prem Chandra Sankhala
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:17:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363173